Result Mitra

# भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया

संविधान क्या है ? संविधानवाद का क्या आशय है ? भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ ? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले हमें राज्य की संकल्पना को समझना होगा:-

# राज्य क्या है ?

सामान्यतः हम सभी राज्य शब्द का प्रयोग आम जनजीवन में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आदि भूमिक्षेत्र को संबोधन करते हैं, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। अर्थात समाज की राजनीतिक प्रक्रिया के विकास में जो भी सहयोग देता है, वह राज्य के अंतर्गत आता है।

भारत की संसद

# राज्य के तत्व

- Population
- Geographical Area
- Government
- Sovereignty

- ध्यातव्य है कि राज्य के ये चारों तत्व अनिवार्य है, इनमें से किसी भी तत्व का लोपन राज्य की संकल्पना को नष्ठ कर देता है।
- अतः राज्य की संरचना और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है।

# संविधान क्या है ?

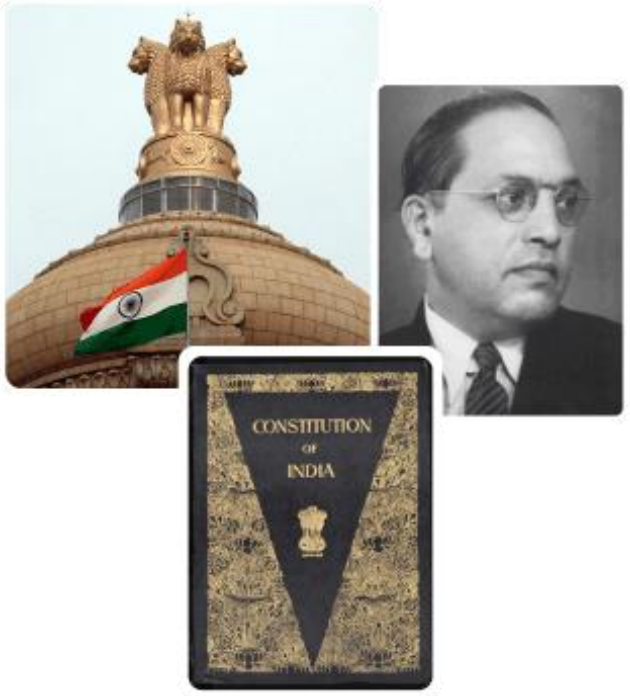


- संविधान किसी भू-भाग की वह मूल एवं सर्वोच्च विधि होती है जिसके द्वारा किसी देश की राज्यव्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होता है। संविधान की परिभाषा को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझ सकते हैं।

1. यह देश की सर्वोच्च विधि होती है।
2. इसमें सरकार के विभिन्न अंगों यथा- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि का वर्णन एवं उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध का विवरण होता है।
3. संविधान में उन आदर्शों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिन्हें सरकार प्राप्त करना चाहती है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को साकार करना।

# Democracy (लोकतंत्र)

## लोक+तंत्र

- लोकतंत्र का मूलभूत अर्थ एक ऐसे तंत्र के विकास से है जिसमें जनसमूह का उद्धार हो, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो। इसमें जनता की आपसी सहमति और जनता के निर्वाचन के परिणामस्वरूप शासन होता है।
- लोकतंत्र जनता की, जनता पर, जनता द्वारा शासन है। - Abraham Lincon

# लोकतंत्र

## प्रत्यक्ष

इस व्यवस्था में सभी स्वतंत्र व्यक्ति एक साथ सहमति से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं।

Eg. Switzerland

## अप्रत्यक्ष

इनमें जनसमूह अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। वे प्रतिनिधि जनता के कल्याण हेतु निर्णय लेते हैं।

Eg. India

# Devices of Direct Democracy

- Referendum
- Initiative
- Recall
- Plebiscite

## भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं क्यों ?

1. अधिक जनसंख्या
2. विविधता - भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि
3. भारत अभी भी राष्ट्र विकास की प्रक्रिया में है।

# संविधानवाद

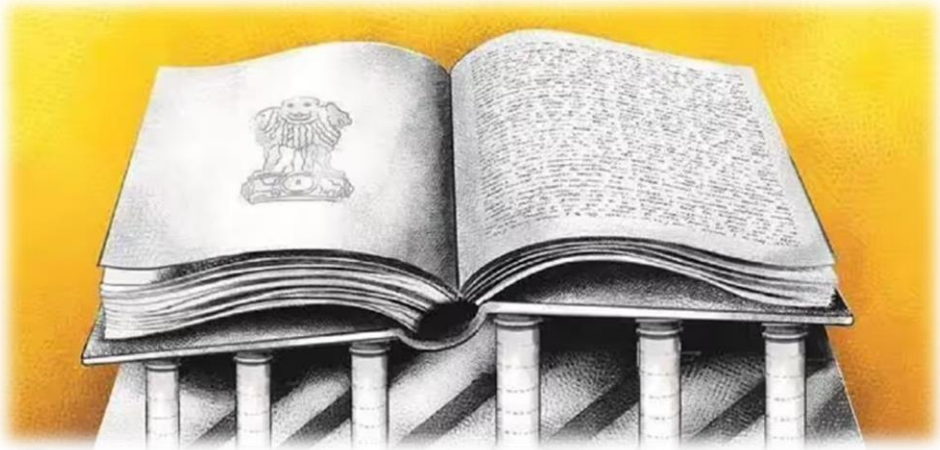

- इंग्लैण्ड की गौरम्मयी क्रांति (1688), अमेरिकी क्रांति (1776), फ्रांसीसी क्रांति - इन तीन महान क्रांतिकारी घटना के पश्चात विश्व में निरंकुश राजतंत्र, धर्मतंत्र, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का प्रभाव खत्म हो रहा था तथा लोकतंत्र एवं संविधानवाद की मांग जोरशोर से उठने लगी।
- किसी भी देश में उसकी सामाजिक संरचना का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। इन पश्चिमी देशों में व्यक्तिवाद, मानववाद आदि धारणाएं अपना पैर पसारने लगी जिससे आधुनिक विश्व में संविधानवाद को मान्यता मिलना शुरू हुई।

# अतः संविधानवाद को हम इन बिन्दुओं से समझ सकते हैं:-

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. संवैधानिक नैतिकता की संकल्पना
3. व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता
4. विधि का शासन
5. शक्ति का पृथक्करण

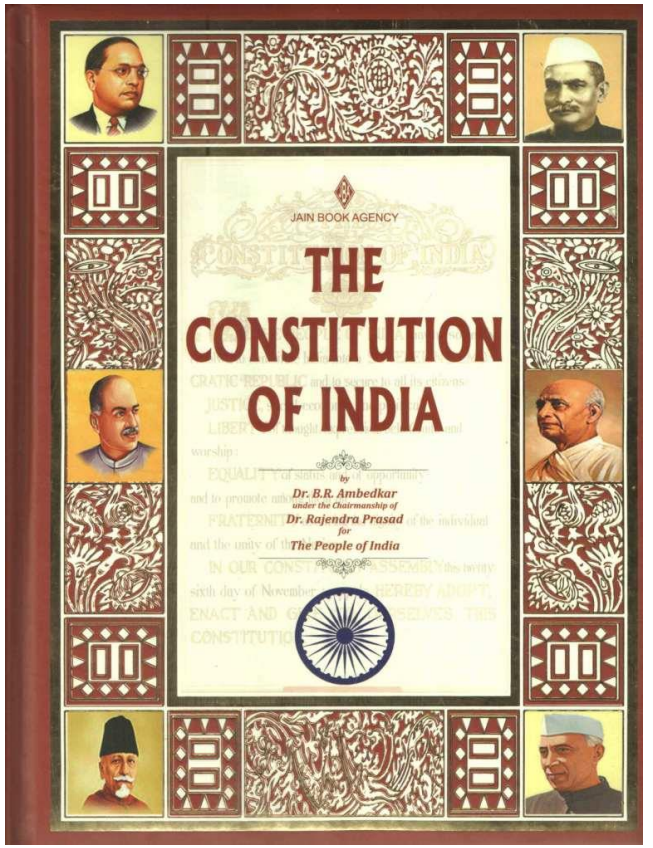

# अतः संविधानवाद को हम इन बिन्दुओं से समझ सकते हैं:-

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. संवैधानिक नैतिकता की संकल्पना
3. व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता
4. विधि का शासन
5. शक्ति का पृथक्करण

**विधायिका**

विधि निर्माण की शक्ति

**कार्यपालिका**

विधि का लागू करना, नीति-निर्माण

Policy Making

**न्यायपालिका**

संविधान का संरक्षक

संविधान की व्याख्या

6. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन

# संविधान

1. यह लोकतांत्रिक एवं गैर-लोकतांत्रिक दोनों देशों में हो सकता है।
2. विधि की सर्वोच्चता हो भी सकती है और नहीं भी
3. व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता

   May be or May not

   Eg. Hijab Issue in Iran

4. शासन असीमित भी हो सकता है।

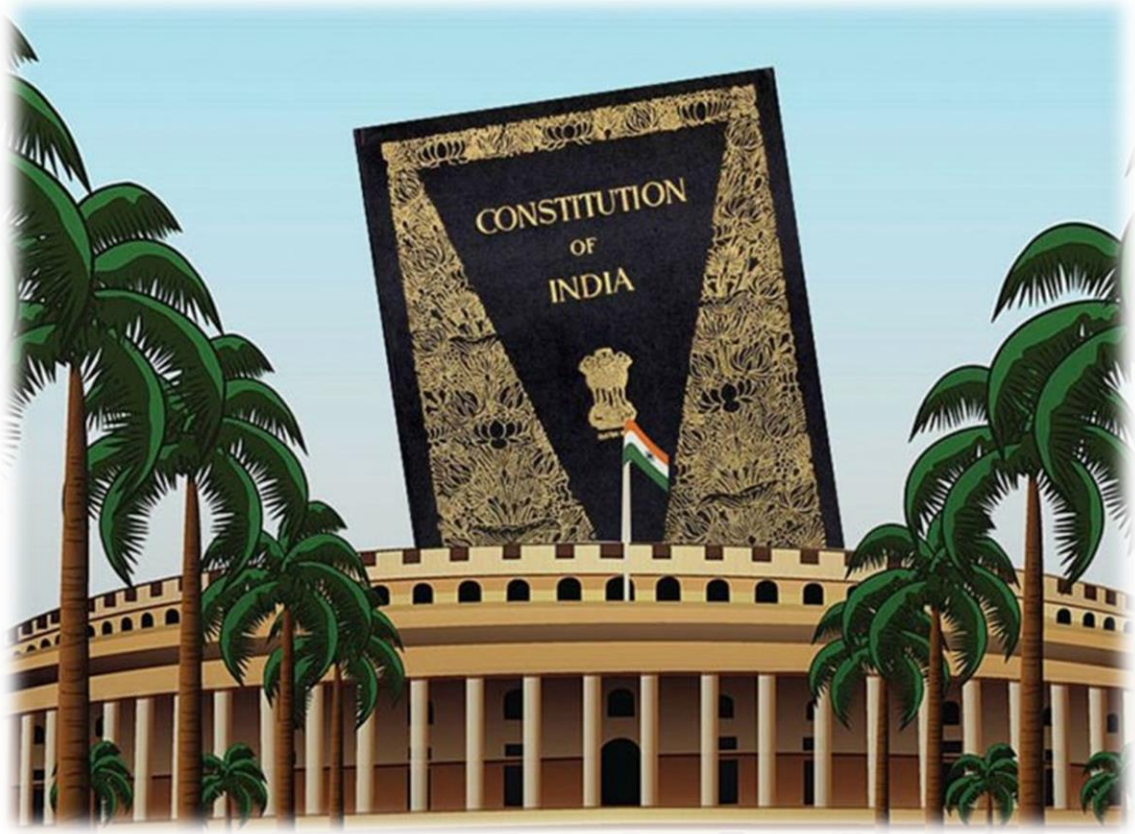

# संविधानवाद

1. केवल लोकतांत्रिक देशों में।
2. विधि की सर्वाच्चता अवश्य।
3. व्यक्ति की स्वतंत्रता मूल विशेषता है।
4. सीमित शासन

**Note :- संविधान न भी हो परंतु संविधानवाद हो सकता है।**

# भारत की संविधान सभा

1. सर्वप्रथम, 1895 में स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग को उठाया, परंतु यह अनौपचारिक एवं व्यक्तिगत मांग थी।
2. 1922 में गांधी जी ने अपने पत्र Young India में संविधान सभा की मांग की जो दक्षिण अफ्रीका की भांति होनी चाहिए।
3. स्वराज पार्टी (संस्थापक-चिरंजन दास) के सदस्य मोतीलाल नेहरू ने भी यह मांग अंग्रेजी शासन के समक्ष रखी। अंतः स्वराज पार्टी संविधान सभा की मांग को उठाने वाली पहली पार्टी थी।

4. 1934 में एम. एन. रॉय ने (सीपीआई पार्टी) पहली बार औपचारिक मांग उठाई।
5. 1935 में कांग्रेस पार्टी ने यह औपचारिक मांग प्रस्तुत की तथा इसको साकारित करने हेतु 1938 में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा योजना बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने व्यस्क मताधिकार की वकालत की।
6. अगस्त प्रस्ताव 1940 – G.G. Linlithgow (W.W. II चल रहा है) इसमें पहली बार अंग्रेजों द्वारा संविधान सभी की मांग को स्वीकृति दी गई।
7. Cripps Mission1942 - इसमें कहा गया WWII की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा।

## 8. Cabinet Mission 1946 - PM - क्लीमेंट एटली

**Member**

- ❑ स्टेफर्ड क्रिप्स
- ❑ लार्ड पैथिक लारेंस
- ❑ ए.वी. एलेक्जेंडर

**इसी के तहत भारतीय संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ तथा इसका गठन नवंबर, 1946 को हुआ।**

9. संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव Propordional Representation of single Transferrable vote प्रणाली से हुआ।



10. भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी ओर आंशिक रूप से देशी रियासतों द्वारा नामित थी।

Note :- हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया।

11. संविधान सभा में 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान था।

12. इनमें प्रमुख 3 समुदाय समूह - सामान्य, मुस्लिम और सिख थे।

Result Mitra

# 13. संविधान सभा का संगठन

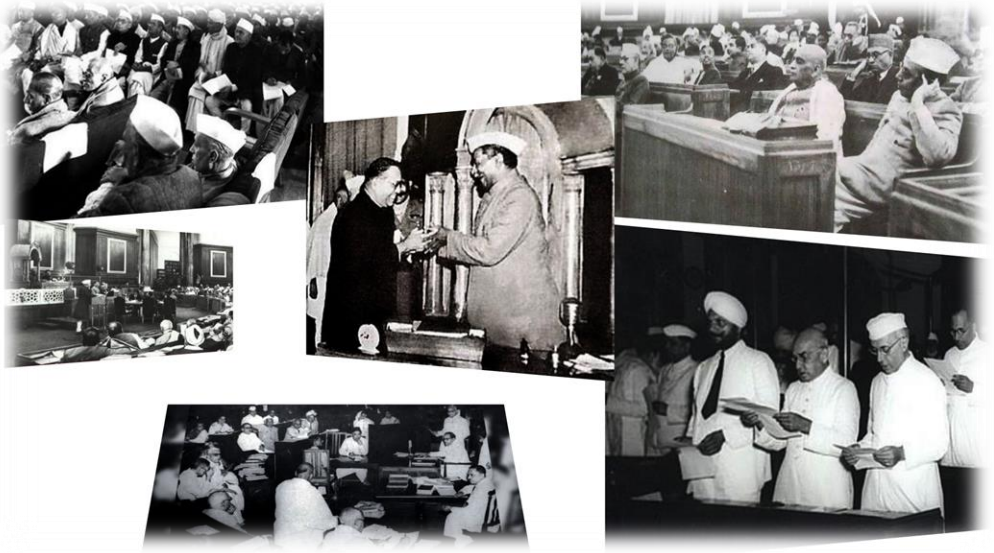

**चुनाव 1946**

- 2008 कांग्रेस,
- 73 सदस्य मुस्लिम लीग से थे,
- देशी रियासतें
- 15 स्वतंत्र सदस्य थे जो किसी भी दल में शामिल नहीं थे।

# 389 सदस्य

## 296 ब्रिटिश भारत

### 292 गवर्नर प्रांत से

### 4 चीफ कमीशनर प्रांत से

Ajmer, Kurg, Delhi, Baluchistan

## 93 Princely State

# भारत का बंटवारा

299 कुल सदस्य

229 Provinces

70 Princely State

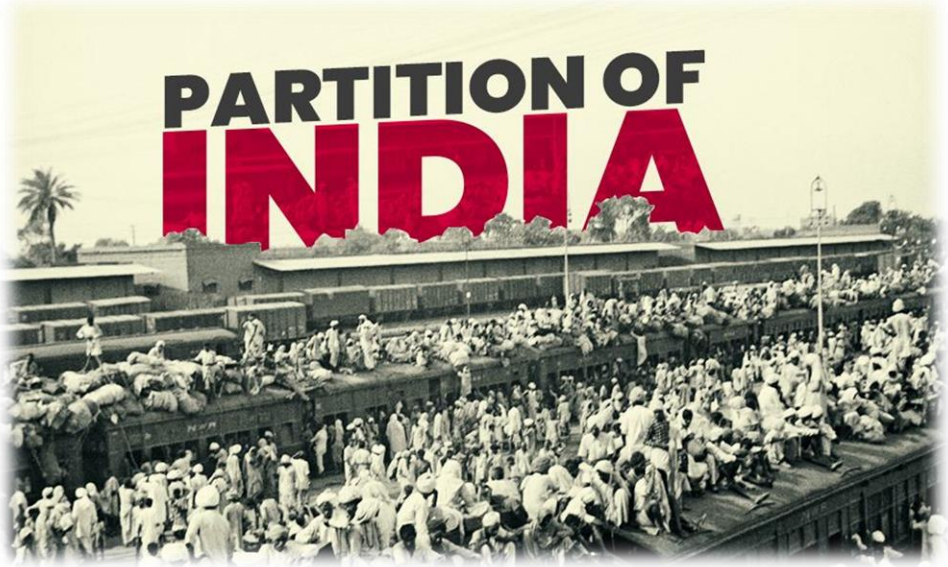

**नोट:-** बी. आर. अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रतिनिधि थे परंतु बंटवारे के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो गया। इसलिए उन्होनें पुणे में M.R. जैकर के पद छोड़ने के बाद प्रतिनिधित्व पद ग्रहण किया।

- Frank Anthony और P.H. Modi क्रमशः Anglo-Indian और पारसी समुदाय से प्रतिनिधि थे।
- British State से सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत (55 Member) से थे।
- Princely State से सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर (7 Member) से थे।
- गांधी जी और मो. जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था।

# संविधान सभा की बैठकें

## 1. प्रथम बैठक- 9 दिसबंर, 1946

- अस्थाई अध्यक्ष - सच्चिदानन्द सिन्हा
- उपाध्यक्ष - एच. सी. मुखर्जी
- 211 सदस्यों ने भाग लिया।

## 2. द्वितीय बैठक - 11 दिसंबर, 1946

- स्थाई अध्यक्ष - राजेन्द्र प्रसाद
- उपाध्यक्ष - एच. सी. मुखर्जी
- Constitutional Advisor – B.N. Ram

## 3. तृतीय बैठक - 13 दिसंबर, 1946

- नेहरू जी ने Objective Resolution सभा में प्रस्तुत किया जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।
- यही ओ. आर. प्रस्तावना का आधार बना।

**नोटः- कुल बैठकों की संख्या - 12 [अंतिम बैठक - 24 जनवरी 1890]**

# संविधान सभा के साथ-साथ 2 कार्यों को पूर्ण किया।

## संविधान निर्माण

अध्यक्ष - राजेन्द्र प्रसाद

## विधायिका के रूप में

अध्यक्ष – G.V. Maulnker

आगे चलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने।

- **22 जुलाई 1947** - राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसका डिजाइन पिंगली वैंकैया ने तैयार किया था।
- **मई, 1949** - कॉमनवेल्थ में भारत ने सदस्यता ग्रहण
- **24 जनवरी, 1950** - को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया।
- **26 नवंबर, 1949** - संविधान के कुछ भाग आंशिक रूप से लागू हुआ। इसी दिन को विधि दिवस या संविधान दिवस कहा गया।

- **26 जनवरी 1950** - संविधान पूर्ण रूप से लागू। भारत गणतंत्र बना।
- **26 जनवरी 1930** को रावी नदी के तट पर भारतीय ध्वज फहराकर पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था।

# प्रमुख समितियाँ

| | मुख्य समिति | अध्यक्ष |
|---|---|---|
| 1. | संघ शक्ति समिति | जवाहरलाल नेहरू |
| 2. | संघीय संविधान समिति | जवाहरलाल नेहरू |
| 3. | राज्यों के लिए समिति | जवाहरलाल नेहरू |
| 4. | प्रांतीय संविधान समिति | सरदार पटेल |
| 5. | मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु परामर्श समिति | सरदार पटेल |
| | ए. मूल अधिकार उपसमिति | जे. बी. कृपलानी |
| | बी. अल्पसंख्यक उपसमिति | एच. सी. मुखर्जी |
| 6. | संचालन समिति | राजेन्द्र प्रसाद |
| 7. | प्रक्रिया नियम समिति | राजेन्द्र प्रसाद |

| गौण समितियाँ | अध्यक्ष |
| --- | --- |
| ❑ राष्ट्र ध्वज तटर्थ समिति | राजेन्द्र प्रसाद |
| ❑ सदन समिति | पट्टामि सीता रमैयार |
| ❑ कार्य संचालन | के. एम. मुंशी |
| ❑ संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति | G.V. Movlankar |

## Drafting Committrr प्रारूप समिति (गठन - 29 अगस्त, 1947)

**सदस्य -**

- ❑ बी. आर. अम्बेडकर
- ❑ गोपालस्वामी आयंगर
- ❑ कृष्णास्वामी अय्यर
- ❑ के. एम. मुंशी
- ❑ मो. सदुल्लाह
- ❑ माधव राव (Replaced B.L. Mitra)
- ❑ टी. टी. कृष्णामचारी (Replaced D.P. Khetan)

# विशेषज्ञ समिति (गठन - 8 जुलाई 1946)

**कार्य -** संविधान सभा के कार्य संबंधित प्रारूप तैयार करना

**सदस्य -**

- J.L. Nehru (Head)
- M. Asaf Ali
- K.M. Munshi
- K.T. Seth
- Humayun Kabir
- Krishna Kriplani
- Gopalswami Ayengar
- D.R. Gadgil
- K. Santhanam